20.06.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादीगण एवं वादिगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादिगण एवं स्वयं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं है।

लिहाजा वादीगण का वाद 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

20/06/25

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर